अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

सं. 29/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 975(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 704(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"15	किसी बॉडी कारपोरेट को ऐसे किसी मोटर वाहन को किराए पर देकर दी जाने वाली सेवा जिसे यात्रियों को लाने ले जाने के लिए तैयार किया गया हो और जहां ईंधन का खर्च भी सेवा के प्राप्तकर्ता से लिए जाने वाले प्रतिफल में शामिल हो।	किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो कि किसी बॉडी कारपोरेट को सेवा की आपूर्ति करता हो और और सेवा के प्राप्तकर्ता से 6 प्रतिशत की दर से संघ राज्यक्षेत्र कर वसूल करने वाली इनवायस जारी न करे।	ऐसा कोई बॉडी कारपोरेट जो कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित हो।"।

[फा. सं. 354/204/2019-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 30 सितम्बर, 2019, सा.का.नि 738 (अ.) दिनांक 30 सितम्बर, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2019

No. 29/2019-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 975(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in

the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, for serial number 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15	Services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient, provided to a body corporate.	Any person, other than a body corporate who supplies the service to a body corporate and does not issue an invoice charging union territory tax at the rate of 6 per cent. to the service recipient	Any body corporate located in the taxable territory.".

[F. No. 354/204/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal notification No. 13/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 22/2019-Union Territory Tax (Rate), dated the 30th September, 2019 *vide* number G.S.R. 738(E), dated the 30th September, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.03 22:53:25 +05'30'